Speed	Registration Fee (One Time)	Annual Tariff General	(100% EOU)
512 KBPS	Rs. 40,000/-	Rs. 29.0 lakhs	Rs. 23.2 lakhs
1 MBPS	Rs. 40,000/-	Rs. 48.0 lakhs	Rs. 38.4 lakhs
2 MBPS	Rs. 50,000/-	Rs. 80.0 lakhs	Rs. 64.0 lakhs

Note:

For recognised educational institutions/Government organisations/News papers, 64 Kbps access will be provided at Rs. 4 lakhs per annum. Multiple of 64 Kbps will be charged at n× 64 Kbps tariff, where 'n' is multiplication factor of 64 Kbps.

दूरसंचार सेवा प्रचालकों के लिए लाइसेंस शुल्क

21. **प्रो॰ नौनिहाल सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार सेवा प्रचालकों से भारी भरकम लाइसेंस शुल्क जोकि कर का अंश है, का भुगतान करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस लाइसेंस शुल्क को कम करने या पूर्णतः हटाए जाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे लाइसेंस शुल्क के कारण प्रत्येक संघ के लिए पूंजीगत लागत में वृद्धि होती है और इसके परिणामस्वरूप वित्त पोषण प्राप्त करना कहीं अधिक दुरूह हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने भविष्य में किसी नीति को लागू करते समय ऐसी तदर्थ-वादी नीति का त्याग करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) वित्त विधेयक 1997 में, 28.2.1997 से सेल्यूलर तथा बुनियादी दोनों प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के संबंध में दिए जाने वाले लाइसेंस शुल्क का परिशोधन करने का प्रावधान है।

नई डाक नीति

22. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई नयी डाक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) से (घ) नई डाक नीति को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, डाक विभाग देश में डाक सेवाओं के विकास तथा प्रचालन के मामले में एक सुसंगत नीति का पालन कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र में डाक नेटवर्क के विस्तार के मामले में , विभाग की नीति नए डाकघर खोलने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने की है। विभाग की नीति में शहरी क्षेत्र में वित्तीय व्यवहार्यता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है तथा नए खोले गए डाकघरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी स्थापना के प्रथम वर्ष के अंत तक आत्मनिर्भर बन जाएं। जहां तक मौजूदा डाकघर से दूरी मानदंड का संबंध है, यह भी शहरी स्थितियों के अनुरूप है जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्ष जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है।

जहां तक वितरण सेवा का संबंध है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए मानदंड यह है कि जब तक पारेषण व्यवस्था में अड़चनें न हों, शाखा डाकघर में डाक जिस दिन प्राप्त हो, उसी दिन वितरित कर दी जाए। शहरी क्षेत्र में, सभी विभागीय वितरण डाकघर सामान्य तथा लेखा-देय दोनों प्रकार की डाक मदों का प्रतिदिन कम से कम एक बार वितरण करते हैं। अधिकांश शहरी डाकघरों में डाक मदों की संख्या और उनके प्राप्त होने के समय को ध्यान में रखते हुए एक बार से अधिक वितरण किया जाता है।

डाक पारेषण के मामले में, विभाग की नीति त्वरित और प्रभावी मेल प्रोसेसिंग के लिए बड़े नोडल सेंटर्स में धीरे-धीरे आटोमेटिड प्रणालियां शुरू करने की है।

विभाग, सरकार की अल्प बचत योजनाएं चलाकर, रेलवे पेंशनर्स, और डाक जीवन बीमा संगठन चलाने